

मि.सं.-50011/04/2020-समन्वय

भारतसरकार/Government of India

कृषिऔरकिसानकल्याणमंत्रालय/Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

कृषिएवंकिसानकल्याणविभाग/Department of Agriculture & Farmers Welfare

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय/Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage


एन.एच.-4, फरीदाबाद -121001 (हरियाणा)

दिनांक - 06 /01/2023

कार्यालय आदेश सं. 11/2022

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उपधारा (1) तथा (5) की उपधारा (1) तथा (2) में उल्लिखित उपबंधों के अनुसरण में वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के कार्यालय आदेश सं. 11/2022 दिनांक 25/11/2022 में आंशिक संशोधन के क्रम में निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने उल्लिखित कार्यालयों/योजनाओं के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) रूप में पदनामित किया जाता है-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	पता	पहले का पदनामित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी	स्वीकृत पदनामित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
1.	सामान्य अनुभाग	वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, एन.एच.-4, फरीदाबाद	श्री दविंदर कुमार	श्री मनोज कुमार यादव अवर सचिव (मुख्यालय)
	प्रशासन -IV	वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, एन.एच.-4, फरीदाबाद		
	लेखा अनुभाग	वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, एन.एच.-4, फरीदाबाद		


6/01/2023

(डॉ. एन. सत्यनारायण)

संयुक्त निदेशक (व०रो०वि.) एवं

नोडल अधिकारी (आर.टी.आई.)

वितरण:

1. पदनामित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित और विशेष रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (4) की उपधारा (1) में उल्लिखित अनुदेशों पर आवश्यक कार्रवाई करें
2. आर.टी.आई. सैल, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वनस्पति संरक्षण सलाहकार के सूचनार्थ उनके निजी सचिव को।
4. प्रभारी, आई.टी. सैल (मुख्यालय) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय आदेश को निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी